

## चाइल्ड पोर्नोग्राफी

### प्रलिस के लयि:

चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल दुर्व्यवहार, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), राष्ट्रीय अपराध रपौरट ब्यूरो (NCRB), [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधनियम, 2012](#), बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जाँच इकाई, [कशोर नयाय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) संशोधन अधनियम, 2021](#)

### मेन्स के लयि:

चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लयि गठति तंत्र, कानून, संस्थाएँ एवं नकिया

[सुरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यो?

हाल ही में यूरोपीय संघ के सांसदों ने ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी/बाल अश्लीलता चतिरण की पहचान करने और उसे हटाने के लयि अलफाबेट की Google, मेटा और अन्य ऑनलाइन सेवाओं की आवश्यकता वाले नयिमों का मसौदा तैयार करने पर सहमत व्यक्त की, जसिमें कहा गया कि इससे रंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रभावति नहीं होगा।

- वर्ष 2022 में यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावति बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) पर मसौदा नयिम, ऑनलाइन सुरक्षा उपायों के समर्थक और नगिरानी के वषिय में चतिरि गोपनीयता कार्यकर्त्ताओं के बीच वविद का वषिय रहा है।
- यूरोपीय आयोग ने तकनीकी कंपनयिों द्वारा [सर्वैच्छकि पहचान और रपौरटगि ससि्टम की अपर्याप्तता](#) को संबोधति करते हुए CSAM की पहचान करने तथा उसे हटाने के लयि ऑनलाइन सेवाओं की आवश्यकता वाले नयिमों का प्रस्ताव रखा।

## चाइल्ड पोर्नोग्राफी/बाल अश्लीलता चतिरण क्या है?

- **परचिय:**
  - चाइल्ड पोर्नोग्राफी से तात्पर्य स्पष्टत: नाबालगिों से जुड़ी यौन सामग्री के नरिमाण, वतिरण या परगिरह से है। भारत और वशिव स्तर पर यह गंभीर प्रभाव वाला एक जघन्य अपराध है, जो बच्चों के यौन शोषण और उनसे दुर्व्यवहार जारी रखता है।
  - ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी [डजिटल शोषण की अभवियक्ति है](#), जो डजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नाबालगिों से जुड़ी स्पष्ट यौन सामग्री के उत्पादन, वतिरण या परगिरह को संदर्भति करती है।
  - [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(संशोधन\) अधनियम, 2019](#) चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्पष्ट तौर पर कसिी बच्चे से जुड़े यौन आचरण के कसिी भी दृश्य चतिरण के रूप में परभिषति करता है जसिमें फोटोग्राफ, वीडयो, डजिटल या कंप्यूटर से उत्पन्न छवयिों शामिल होती हैं जो वास्तवकि बच्चों से अप्रभेद्य हैं।
- **भारतीय परदृश्य:**
  - चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में बढ़ोतरी भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण की गंभीर स्थति को दर्शाती है [राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड ब्यूरो \(National Crime Records Bureau-NCRB\)](#) 2021 की रपौरट के अनुसार, वर्ष 2020 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 738 मामले थे जो वर्ष 2021 में बढ़कर 969 हो गए थे।
- **प्रभाव:**
  - **मनोवैज्ञानकि प्रभाव:** पोर्न बच्चों पर मनोवैज्ञानकि प्रभाव डालता है। यह अवसाद, क्रोध तथा चति से संबंधति है। इससे मानसकि पीड़ा हो सकती है। इसका प्रभाव बच्चों के दैनकि कामकाज़, उनकी जैवकि क्रयिओं (Biological Clock), कार्य एवं सामाजकि संबंधों पर भी पड़ता है।
  - **कामुकता पर प्रभाव:** इसे नयिमति रूप से देखा जाना यौन संतुष्टि और यौन उत्तेजना की भावना उत्पन्न करता है, जसिसे वास्तवकि जीवन में भी समान कृत्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है।
  - **यौन व्यसन:** कुछ वशिषज्जों के अनुसार, पोर्नोग्राफी एक व्यसन की भाँती की तरह है। यह मस्तषिक पर वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता है जैसा नयिमति रूप से नशीली दवाओं अथवा शराब के सेवन से होता है।

- **व्याहारिक प्रभाव:** कशिशरों में पोरनोग्राफी का उपयोग, खासकर पुरुषों के मामले में, लैंगिक रूढ़िवादता में मज़बूत वशुवास से जुड़ा है। जो पुरुष कशिशर अकसर पोरनोग्राफी देखते हैं, उनके द्वारा महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखे जाने की अधक संभावना होती है।
  - महिलाओं के खलुाफ यौन उत्पीड़न और हसुा को प्रोत्साहल करने वाले वचुारों को पोरनोग्राफी द्वारा प्रबलल कलुा जा सकता है।

## पोरनोग्राफी से नपलटने में कलुा चुनौतलुाँ हैं?

- उच्च वर्ग के बचुुओं की तुलना में नमलन वर्ग के बचुुओं में पोरनोग्राफी का प्रभाव अलग होता है। कोई भी एकल दृषुटकुलुाण समसुुा क्सेरभावी ढंग से हल में सकुषम नहीं होगा।
- भारत में सेक्स को नकारातुतक (कुछ ऐसा जसुल छपलुाया जाना चाहलुल) रूप में देखा जाता है। सेक्स के संबंढ में कोई स्वसुुथ पारवलरकल संवाद नहीं होता है। इससे बचुुा बाहर से सीखता है और उसे पोरनोग्राफी की लत लग जाती है।
- एजेंसलुल के ललुल चाइलड पोरनोग्राफी की गतवलधलुल कल पता लगाना और उन पर प्रभावी ढंग से नगरलनी रखना बहुत मुशुकलल है।
- नलुलमलतल रूप से वेबसाइट्स और अमेर्जन प्राइम, नेटफ्लकुलस, हॉटसुुार इतुुाद लुलसी OTT (ओवर द टॉप) सेवलओं पर अशुुलल सामगुरी की उपलबुधता से गैर-अशुुलल तथा अशुुलल सामगुरी के बीच अंतर करना मुशुकलल हो जाता है।

## बचुुओं के साथ अशुुललता और शोषण को रोकने के ललुल भारत की कलुा पहलें हैं?

- **यौन अपराधों से बचुुओं का संरकुषण (POCSO) अधनलुलम, 2012:**
  - **POCSO अधनलुलम, 2019 में संशोधन** कलुा गया है, जसुलमें बचुुओं के गंभीर यौन उत्पीड़न के ललुल मृतुुदंड जैसे कड़े उपाय शामिल हैं।
  - यौन अपराधों से बचुुओं का संरकुषण (संशोधन) अधनलुलम, 2019 ने भारत में चाइलड पोरनोग्राफी पर अंकुश लगाने के ललुल कई प्रावधान प्रसुतुत कलुल हैं।
    - संशोधलत अधनलुलम के अनुसार, जो कोई भी कसुलल बचुुे या बचुुओं का उपयोग अशुुलल उदुदेशुुओं के ललुल करता है, उसे कम-से-कम पाँच वर्ष का कारावास होगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा और दूसरी अथवा बाद की सुथतलल में कारावास की अवधुलसात वर्ष से कम नहीं होगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- **अनुु पहल:**
  - **आईटी अधनलुलम 2000**
  - **बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जाँच इकाई**
  - **बेटी बचाओ बेटी पढाओ**
  - **कशिशर नुुाया (बचुुओं की देखभाल और संरकुषण) अधनलुलम, 2015**
  - **बाल ववलह नषलध अधनलुलम (2006)**
  - **बाल शरम नषलध एवं वनलुलमन अधनलुलम, 2016**
  - **वशलष फासुुट टुरैक नुुायालयों के अंतरगत POCSSO नुुायालय**

## आगे की राह

- चाइलड पोरन पर ततकाल प्रतबलध लगाए जाने की आवश्यकता है।
- उदाहरण के ललुल सामानुुतत: कसुलल बचुुे का पहली बार पोरन से संपरुक आकसुुमकल होता है। इंटरनेट पर अनुु चीजुुओं को बुराउज करुते समय वजुुजापन के रूप में, सरकार को इस तरह के आकसुुमकल जोखमल को रोकने के ललुल तकनीकी समाधान खोजने का प्रयास करना चाहलुल।
- जागरुकता के साथ यौन शकुषुा बहुत जरुरी है, इसललुल सुकुुलों में इसे अनवलरुु कलुा जाना चाहलुल। माता-पता और शकुषुकों को आधुनकल प्ररुदुुगकलल में बचुुओं के साथ व्यवहार करने में कुशल होना चाहलुल।

## वधकल दृषुटकुलुाण:

**पॉकसुुओ (POCSO) अधनलुलम लैंगकल रूप से तटसुुथ**

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

